निर्यातकों को उत्पादों के प्रमाणन के लिए मिलेंगे 20 लाख रुपये

मनोज त्रिपाठी ● जागरण

- जल्द लागू होगी उत्तर प्रदेश की नई निर्यात प्रोत्साहन नीति
- निर्यात बढ़ाने के लिए खाद्य व ओडीओपी उत्पादों पर फोकस

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में जल्द ही नई निर्यात प्रोत्साहन नीति लागू होगी। अगले पांच वर्षों (2025-2030) के लिए तैयार की गई नीति के तहत निर्यातकों को कई सुविधाएं दी जाएंगी। नीति में खाद्य उत्पादों पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। इसके लिए पहली बार यूरोपियन देशों की प्रयोगशालाओं से खाद्य उत्पादों के प्रमाणन के लिए निर्यातकों को 20 लाख रुपये या कुल खर्च की 75 प्रतिशत राशि का भुगतान किए जाने की व्यवस्था की गई है। वर्तमान नीति 31 मार्च को समाप्त होने जा रही है, इसलिए नई नीति को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी दिलाने की तैयारी है।

प्रदेश से वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, युनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, चीन, नेपाल व मलेशिया को सबसे ज्यादा निर्यात किया जा रहा है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर यूरोपीय देश अपनी प्रयोगशालाओं से प्रमाणित खाद्य उत्पादों को ही निर्यात में वरीयता देते हैं। इन देशों की प्रयोगशालाओं में खाद्य उत्पादों के प्रमाणन पर 20 से 50 लाख रुपये तक का खर्च आता है। सूत्रों के अनुसार नई नीति में खाद्य उत्पादों के प्रमाणन पर आने वाले खर्च के एवज में सरकार निर्यातकों को 20 लाख रुपये तक देगी। नीति में 20 टन के कंटेनर से माल भेजने पर 10 हजार रुपये अथवा खर्च का 25 प्रतिशत तथा 40 टन के कंटेनर से माल भेजने पर 20 हजार रुपये या 25 प्रतिशत राशि निर्यातकों को अदा की जाएगी।

तैयार की गई नई नीति में खाद्य व कृषि उत्पादों के अलावा सबसे ज्यादा फोकस हस्तशिल्प, प्रसंस्कृत मांस, कालीन, चमड़ा, चर्म उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पर किया गया है। 'मेक इन यूपी' के तहत प्रदेश से रक्षा उत्पादों के निर्यात पर भी फोकस है। हस्तशिल्प निर्यात में प्रदेश की भागीदारी करीब 45 प्रतिशत है। इसके अलावा प्रसंस्कृत मांस के निर्यात में 41 प्रतिशत, कालीन में 39 प्रतिशत, चमड़ा व चर्म उत्पादों के निर्यात में राज्य की 26 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में उत्तर प्रदेश का निर्यात 88 हजार करोड़ रुपये था जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 170 हजार करोड़ रुपये हो गया है।

अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन

सरकार की कोशिश है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर तक पहुंचाने के लिए नई नीति के तहत निर्यातकों को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए। नीति में सब्सिडी को लेकर आवेदन को आनलाइन ट्रैक करने की सुविधा भी निर्यातकों को मिलेगी। इसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स एंड टेक्सटाइल, ग्लास व सिरेमिक उत्पाद, काष्ठ उत्पाद, स्पोर्ट्स गुड्स, सेवा क्षेत्र, शिक्षा व पर्यटन, आइटी व आइटीईएस, मेडिकल वेल्यू ट्रैवल्स तथा लाजिस्टिक्स पर फोकस करने के साथ ही रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को भी नीति में वरीयता दी गई है।